



कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय

काठाडीह, रायपुर 492013 (छत्तीसगढ़)

दूरभाष : 0771 2969202 वेबसाइट : www.ktujm.ac.in

क्रमांक.....865...../परीक्षा/2026

रायपुर, दिनांक 13/08/2026

// सूचना //

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा नई शिक्षा नीति (NEP) के अंतर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर जनवरी-जून 2026 की परीक्षाओं में सम्मिलित समस्त परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत, यदि कोई परीक्षार्थी अपने किसी विषय में प्राप्तांक से असंतुष्ट है, तो वह विश्वविद्यालय के प्रचलित नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित अवधि में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं-

- 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) हेतु आवेदन परीक्षा परिणाम घोषणा होने की तिथि से 15 दिवस तक
- 02 नई शिक्षा नीति (NEP) के अंतर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थी चैलेंज वैल्यूएशन (Challenge Valuation) अथवा रिटोटलिंग (Retotalling) हेतु आवेदन परीक्षा परिणाम घोषणा होने की तिथि से 10 दिवस तक

पुनर्मूल्यांकन, चैलेंज वैल्यूएशन एवं रिटोटलिंग से संबंधित विस्तृत नियम, प्रक्रिया, आवेदन एवं शुल्क की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ktujm.ac.in से अथवा परीक्षा विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

(सुनील कुमार शर्मा)
कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 13/08/2026

पृ. क्रमांक866...../परीक्षा/2026
प्रतिलिपि-

1. माननीय कुलपति महोदय के निज सहायक, कुलपति कार्यालय,
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अध्ययन शाला,
3. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, छत्तीसगढ़
4. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु,
..... कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सूचना पटल।

कुलसचिव



कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय

काठाडीह, पोस्ट ऑफिस - सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492 013
दूरभाष : 0771 2779202, 2779203

पुनर्मूल्यांकन आवेदन-पत्र

प्रपत्र क्रमांक

मूल्य : रु. 30/-

परीक्षा का नाम

टीप : पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन-पत्र, परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा।

प्रति,

कुलसचिव,
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूँ कि मुझे निम्न दर्शाए गए प्रश्नपत्र के उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन कराने की अनुमति/पात्रता नियमानुसार प्रदान करें।

अनुक्रमांक	विषय/प्रश्नपत्र के नाम	अधिकतम अंक	संबंधित प्रश्न-पत्र का प्राप्तांक	विशेष

- छात्र/छात्रा का नाम
- घर का पता
- परीक्षा का नाममुख्य/परीक्षा वर्षमाह
- अनुक्रमांक (रोल नं.)
- नामांकन क्रमांक
- आधार नम्बर
- परीक्षा केंद्र का नाम
- परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि
- निर्धारित शुल्क रुपये (अक्षरी रुपये)
विश्वविद्यालय कार्यालय में नकद रसीद क्रमांक दिनांक
द्वारा जमा किया जा चुका है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में जो जानकारी दी गई है वह सही है। अध्यादेश क्रमांक 3 एवं 4 में वर्णित शर्तों को मान्य करता/करती हूँ। मैंने पुनर्मूल्यांकन के नियमों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय मुझे अंतिम रूप से मान्य होगा। रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है।

दिनांक

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर
पूर्ण पता:-

मोबाईल नम्बर-



कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय

काठाडीह, रायपुर 492013 (छत्तीसगढ़)

दूरभाष : 0771-2969202 Web site : ktujm.ac.in

क्रमांक 1908/गोपनीय-परीक्षा विभाग/26

रायपुर दिनांक 27/01/2026

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 51 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों हेतु पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था के स्थान पर चुनौती मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

- सेमेस्टर परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्र परीक्षा परिणाम जारी होने के 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रु. 1000/- (रुपये एक हजार) प्रति कोर्स की दर से विश्वविद्यालय कोष में जमा कर उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त कर चुनौती मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन कितने भी कोर्स में किया जा सकता है।
- उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक 01 में उल्लेखित कोर्स हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दो विषय विशेषज्ञों की समिति गठित कर उत्तर पुस्तिकाओं का चुनौती मूल्यांकन किया जावेगा।
- दो विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदाय किए गए अंकों का औसत तथा छात्र के मूल प्राप्तांक का अंतर यदि मूल प्राप्तांक के 10% से अधिक होगा तो विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदाय अंकों के औसत को अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में मूल प्राप्तांक अंतिम मान्य होगा। इस प्रक्रिया में छात्रों के अंतिम अंक मूल प्राप्तांक से कम अथवा अधिक भी हो सकते हैं।

उदाहरण - यदि विशेषज्ञों द्वारा प्रदाय औसत अंक A है तथा मूल प्राप्तांक B है तब A तथा B का अंतर B के 10% से अधिक होने पर A को अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में B (मूल प्राप्तांक) यथावत रहेगा।

(सुनील कुमार शर्मा)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक 1909/गोपनीय-परीक्षा विभाग/26
प्रतिलिपि:-

रायपुर दिनांक 27/01/2026

1. कुलपति के निज सहायक को, माननीय कुलपति महोदय, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर के सादर सूचनार्थ।
2. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।
3. उप-कुलसचिव, परीक्षा एवं गोपनीय विभाग, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।
4. वित्त अधिकारी कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।
5. कम्प्यूटर केन्द्र प्रभारी को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
6. सूचना पटल।

कुलसचिव